धनबाद समाहरणालय
जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद।
(सूचना एवं जन–सम्पर्क शाखा)

पत्रांक............/सू०ज०स०/संचिका संख्या–06/2021–22

प्रेषक,

उपायुक्त,
धनबाद।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक......................................

विषयः– **District IEC Plan Scheme-1 and Scheme-2** के निकाली गई निविदा के शुद्धि पत्र के प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में District IEC Plan Scheme-1 and Scheme-2 के तहत निकाली गई निविदा के शुद्धि पत्र के प्रकाशन किया जाना है। जिसका निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 227/Scheme I दिनांक 20/06/2021 पी0आर0 नं0 248287 एवं निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 227/Scheme II दिनांक 20/06/2021 पी0आर0 नं0 248288 का प्रकाशन राज्य स्तरीय विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं विभागीय वेबसाईट www.prdjharkhand.in पर अपलोड करने हेतु भेजी जा रही हैं।

अतः उक्त विज्ञापन को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना चाहेगे।

अनुलग्नकः– शुद्धि पत्र का प्रारूप संलग्न।

ह0/–
उपायुक्त,
धनबाद।

ज्ञापांक 253 / सू०ज०स०, दिनांक 01/07/2021

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, विधि व्यवस्था धनबाद –सह– वेब मैनेजर, धनबाद को सूचनार्थ एवं जिला की वेबसाईट **www.dhanbad.nic.in** पर निविदा अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01/07/21
05:15 PM

01/07/21

उपायुक्त,
धनबाद।

जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद।

सूचना एवं जनसम्पर्क शाखा, धनबाद समाहरणालय।

District IEC Plan (Scheme – 1 and Scheme – 2) के तहत प्रचार–प्रसार से संबंधित

निविदा की शर्तो में संशोधन

इस कार्यालय द्वारा अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0 227/Scheme-1 दिनांक 20/06/202, PR No- 248287 एवं 227/Scheme-2 दिनांक 20/06/2021, PR No- 248288 को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। जिसे कार्यालय के सूचना पटट् एवं वेबसाईट – www.prdjharkhand.in एवं www.dhanbad.nic.in पर देखा जा सकता है।

दिनांक– 28/06/2021 को आयोजित Pre- Bid की बैठक के क्रम में संभावित निविदादाताओं द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं दिये गये सुझाव पर निविदा निष्पादन समिति (क्रय समिति) द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय निम्नवत है:–

क्रं०	प्रश्न/सुझाव	निर्णय/उत्तर
01	एम0एस0एम0ई0 यूनिट को अग्रधन की राशि एवं टर्नओवर की राशि में छुट देने का प्रस्ताव दिया गया।	निविदा निष्पादन के क्रम में Jharkhand Procurement Policy-2014 (as amended from time to time) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
02	जी0एस0टी0 के संबंध में समर्पित किये जाने वाले दस्तावेजों के विषय में स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया।	निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ प्रतिष्ठान का जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र (REG-06) एवं रिटर्न (मार्च–2021 का GSTR-3B) का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा Reference No.227/Scheme I & Reference No.227/Scheme II अन्तर्गत Annexure I के क्रमांक 07 में GST No (If any) को जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र (REG-06) एवं रिटर्न (मार्च–2021 का GSTR-3B) समझा जाय।
03	निविदा Reference No.227/Scheme I अन्तर्गत बैकलीट फ्लैक्स का प्रकार के संबंध में विवरण हेतु अनुरोध किया गया।	बैकलीट का प्रकार 5 स्टार होना अनिवार्य है।
04	निविदा Reference No.227/Scheme I अन्तर्गत रेडियम स्टीकर के प्रकार का विवरण हेतु अनुरोध किया गया।	रेडियम स्टीकर का रात्रि में स्पष्ट दृष्टव्य होना अनिवार्य है।
05	वैश्विक महामारी के दौरान व्यापार पर प्रभाव पड़ने के कारण निविदा अन्तर्गत टर्न ओवर की राशि में छुट देने का प्रस्ताव दिया गया।	निविदा में इस हेतु संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। जो निम्नवत है: – District IEC Plan Scheme I में निविदादाता का दो वर्षो का (वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 अथवा 2019–20 एवं 2020–21) का औसत वार्षिक टर्नओवर 50,00,000.00 (पचास लाख) को संशोधित करते हुए रू 40,00,000.00 (चालीस लाख) रूपये या उससे अधिक का टर्नओवर होना अनिवार्य है, जिसका चार्टर एकाउंटेन्ट के द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र/ऑडिट रिपोर्ट की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।
06	आयकर रिटर्न तथा टर्नओवर से संबंधित स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति किन दो वर्षो का संलग्न करना अनिवार्य है ? इस संबंध में स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया।	निविदादाता को आयकर रिटर्न हेतु दो वर्षो का (वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 अथवा 2019–20 एवं 2020–21) आयकर रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा टर्नओवर हेतु चार्टर एकाउंटेन्ट के द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र/ऑडिट रिपोर्ट की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।
07	अग्रधन की राशि के संबंध में एन0एस0आई0सी0 प्रमाण–पत्र धारकों को छुट हेतु विवरण का अनुरोध किया गया।	निविदा निष्पादन के क्रम में Jharkhand Procurement Policy-2014 (as amended time to time) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
08	निविदा अन्तर्गत निविदादाता द्वारा समर्पित किए जाने वाले अनुभव प्रमाण–पत्र की अवधि स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया।	निविदादाता अनुभव के संबंध में स्वंय विवरण उपलब्ध करायेगें। इस हेतु तकनीकी निविदा के साथ निविदादाता को अनुभव प्रमाण–पत्र/कार्यादेश एंव कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

निविदा निष्पादन समिति (क्रय समिति) द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त निर्णयों को इस हद तक संशोधित किया गया है।
शेष शर्ते यथावत रहेंगे।

ह०/–
उपायुक्त, धनबाद।

01/07/21